प्राधिकरण भवन, गोमती नगर कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी

नीलामी प्रपत्र

प्रपत्र का मूल्य रू. 1050.00 (जी0एस0टी0 सहित)

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

लखनऊ विकास प्राधिकरण
विपिनखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ

प्राधिकरण भवन, गोमती नगर कार्यालय के वाह्य क्षेत्र की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी ''जहॉ है जैसे है'' (उपयोगी सामग्री–कुर्सी, मेज, अलमारी लकड़ी तथा लोहे की, लोहे की रैक, सोफा, दीवान, सेन्टर टेबिल इत्यादि को छोड़कर) के आधार पर होगी तथा सामग्रियों का अवलोकन नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व ही कार्यालय कार्यदिवस में प्राधिकरण भवन गोमती नगर के प्रांगण में किया जा सकता है।
2. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने से पूर्व धरोहर धनराशि सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट धनराशि रू0 50,000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) नीलामी तिथि से पूर्व अनुरक्षण कार्यालय में जमा करना होगा तथा उच्च बोली की धनराशि के रूप में जमानत धनराशि सम्मिलित नही की जायेगी।
3. नीलामी स्वीकार होने के उपरान्त असफल व्यक्तियों की धरोहर धनराशि नीलामी पूर्ण होने पर दूसरे दिन अनुरक्षण कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
4. नीलामी में सफल व्यक्ति की धरोहर धनराशि जमानत के रूप में आबद्ध होगी जो सम्पूर्ण सामग्री हटाने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी। यदि सम्पूर्ण निष्प्रयोज्य सामग्री नही हटायी जाती है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही नीलामी में सफल व्यक्ति को नीलामी में बोली गयी उच्चतम बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तुरन्त एवं अवशेष धनराशि अगले कार्य दिवस के दो दिनों में बैंक ड्राफ्ट/चालान, जो सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा, जमा करनी होगी।
5. नीलामी में सफल व्यक्ति को सम्पूर्ण निष्प्रयोज्य सामग्री जल्द से जल्द प्राधिकरण परिसर से हटाना होगा इस अवधि में उक्त निष्प्रयोज्य सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी। निर्धारित समयावधि में नीलामी की धनराशि जमा न करने पर तथा परिसर से सम्पूर्ण निष्प्रयोज्य सामग्री न हटाने पर जमा धनराशि जब्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को होगा।
6. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को स्वयं बोली हेतु उपस्थित रहना होगा। किसी प्रतिनिधि द्वारा बोली में भाग नही लिया जा सकेगा। बोलीकर्ता अपनी बोली के लिये बाध्य होगा। नीलामी की धनराशि की कमी पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा तथा एक बार में बोली गई बोली में पुनः कोई कमी नही की जायेगी।
7. यह समझा जायेगा कि बोली कर्ता ने सामग्री को भलीभॉति देखा है तथा वह इन सामग्री की गुणवत्ता से पूरी तरह से भिज्ञ है इस सम्बन्ध में कोई गारन्टी या शर्त मान्य नही होगी, न ही कोई परिवाद शिरोधार्य होगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ का अन्तिम निर्णय बाध्यकारी होगा।
9. यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं ने प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले सभी नियमों व शर्तो को ध्यान से पढ़ा है और उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। दिये गये नियमों व शर्तो से विचलन की अनुमति नही है और बोली प्रस्तुत करने के बाद किसी भी परिवर्तन करने की अनुमति नही दी जायेगी। किसी भी प्रकार का वाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेषाधिकार में होगा।

नोटः– बोलीदाता द्वारा बोली गयी सर्वोच्च बोली पर 18% जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी।*

प्रमाण–पत्र

मैं...प्रमाणित करता हूँ कि मैंने नीलामी की शर्तो को पढ़ लिया है व शर्ते मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर
नाम व पता

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001 2008 प्रमाणित संस्था)

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)

टोल फ्री नं. : 1800 1800 5000, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर कार्यालय में वाहय क्षेत्र की निष्प्रयोज्य सामग्रियो की नीलामी "जहा है जैसे है" (उपयोगी सामग्री–कुर्सी, मेज, अलमारी लकड़ी तथा लोहे की, लोहे की रैक, सोफा, दीवान, सेन्टर टेबिल इत्यादि को छोडकर) के आधार पर की जानी है। निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की नियम व शर्त का विवरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.ldalucknow.in पर उपलब्ध हैं। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।

नीलामी दिनाक 06/03/2026 को प्राधिकरण भवन, गोमती नगर कार्यालय में स्थित भूतल पर बने सभागार में पूर्वान्ह 11 30 बजे की जायेगी। नीलामी को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा। नीलामी प्रपत्र प्रकाशन तिथि से नीलामी तिथि से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय स्थित यूको बैंक में रूपया 1050 00 (रूपये एक हजार पचास मात्र) जी०एस०टी० सहित जमा करके चालान की प्रति प्रस्तुत कर अनुरक्षण (सिविल) कार्यालय से प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, तथा रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) जमानत धनराशि के रूप में (बैंक ड्राफ्ट) जो सचिव, ल०वि०प्रा० के नाम होगी नीलामी तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता, (अनुरक्षण-सिविल)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
(ISO 14001 : 2004, ISO 9001 - 2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)
टोल फ्री नं. : 1800 1800 5000, वेबसाइट : www.ldaonline.co.in

निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर कार्यालय में वाह्य क्षेत्र की निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी ''जहां है जैसे है'' (उपयोगी सामग्री–कुर्सी, मेज, अलमारी लकड़ी तथा लोहे की, लोहे की रैक सोफा, दीवान, सेन्टर टेबिल इत्यादि को छोडकर) के आधार पर की जानी है। निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी की नियम व शर्त का विवरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट https://www.ldalucknow.in पर उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।

नीलामी दिनाक 06/03/2026 को प्राधिकरण भवन, गोमती नगर कार्यालय में स्थित भूतल पर बने सभागार में पूर्वान्ह 11.30 बजे की जायेगी। नीलामी को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा। नीलामी प्रपत्र प्रकाशन तिथि से नीलामी तिथि से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय स्थित यूको बैंक में रूपया 1050.00 (रूपये एक हजार पचास मात्र) जी०एस०टी० सहित जमा करके चालान की प्रति प्रस्तुत कर अनुरक्षण (सिविल) कार्यालय से प्रातः 10:00 बजे से 4:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, तथा रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हज़ार) ज़मानत धनराशि के रूप में (बैंक ड्राफ्ट) जो सचिव, ल०वि०प्रा0 के नाम होगी नीलामी तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता, (अनुरक्षण-सिविल)